

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/270

रामधन व/र किशनलाल

पेशी

2023/270

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री मंगलकिशोर चौरासरी व/र श्री RA-2

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
जारी हुए

रामधन बनाम किशनलाल वगैरह(270/2023)

17/9/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई, परन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

र
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



800

श्रीमंगलाराम चौधरी एडवोकेट

न्यायालय श्रीमान, राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील फेज

अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 270 सन् 2023 जिला केकडी

श्रीमंगलाराम चौधरी

रिपोट

फेज

राजस्व अपील अधिकारी

अजमेर

04/9/23

1. रामधन पुत्र नन्दा
2. ललिता पत्नि भागचंद
3. जयसिंह पुत्र भागचंद
4. गीता पत्नि जगदीश
5. किस्मत पुत्री जगदीश
6. कर्मा पुत्री जगदीश
7. धर्मा पुत्री जगदीश
8. रेखा पुत्री जगदीश
9. नारायण पुत्र जगदीश
10. राजेश पुत्र जगदीश

समस्त जाति जाट निवासी केकडी तहसील व जिला केकडी।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. किशनलाल पुत्र स्व0 नन्दा जाति जाट निवासी केकडी तहसील व जिला केकडी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला केकडी।

.....रेस्पो0

3. मूलीदेवी पत्नि स्व0 नन्दा
4. गीतादेवी पुत्री स्व0 नन्दा
5. मनसोर पुत्री स्व0 नन्दा
6. लाली पुत्री स्व0 नन्दा
7. सोभाग पुत्र स्व0 नन्दा

समस्त जाति जाट निवासी केकडी तहसील व जिला केकडी।

.....तरतीबी रेस्पो0

श्रीमंगलाराम चौधरी

25/9/23

अजमेर

अपील अधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्ली विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी दिनांक 17.7.2023 वाद संख्या 91/2022 (2022/275) उनवानी किशनलाल बनाम सरकार व अन्य मे पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलाण्ट की ओर से निम्न निवेदन है:-

अ. यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी/रेस्पो0 सं0 1 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी/रेस्पो0 सं0 2 व तरतीबी रेस्पो0 के विरुद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी के न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र की तालिका "अ" मे वर्णित आराजी सम्बत 2024 के अनुसार खाता संख्या नया 464 पुराना 496 के खसरा नं0 900 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी-1, तालिका "ब" मे वर्णित आराजी सम्बत 2041 के अनुसार खाता संख्या नया 542 पुराना 545 के खसरा नं0 900 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी-1, तालिका "स" मे वर्णित आराजी सम्बत 209-72 व 2076 के अनुसार खाता संख्या नया 972 पुराना 856 के खसरा नं0 5401 रकबा 1.51 हैक्टर बारानी-1 कस्बा केकडी मे अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की सयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है उक्त तालिका अ मे वर्णित आराजीयात वादी के स्वर्गीय पिता जगन्नाथ पुत्र बैजनाथ के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। स्व0 जगन्नाथ अविवाहित थे तथा नाऔलाद थे उन्होने अपने जीवनकाल मे स्व0 नन्दा को गोद ले लिया था व वादी के पिता स्व0 नन्दा ने अपने जीवनकाल मे स्व0 जगन्नाथ की सेवा चाकरी सार संम्भाल की थी। तालिका ब मे वर्णित आराजी स्व0 जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात वादी के पिता स्व0 नन्दा पुत्र जगन्नाथ के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई वादी के पिता नन्दा की दिनांक 28.1.2003 को मृत्यु के उपरान्त विरासत के आधार पर स्व0 नन्दा के स्थान पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी रेस्पो0 के नाम दर्ज करने हेतु कई बार मौखिक

कुमा 15

अनुगत 2023

अनुगत 2023

रजधानी नावोचलामा वर्मा रेखा राजेश ललता जगसिंह चौधरी